न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2012 (राजसमन्द डिकी)

1. लोबा पिता चतरभुज जी, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोपीबाई बेवा चतरभुज जी, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सुन्दरबाई पुत्री किशोर पत्नी हीरालाल, जाति अहीर, निवासी सकरावास हाल पीपली अहिरान, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मांगीबाई पुत्री किशोर पत्नी हीरालाल, जाति अहीर, निवासी सकरावास हाल लदानी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. वरदी बेवा किशोर पत्नी हीरालाल, जाति अहीर, निवासी पीपली डोडियान तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. मांगीलाल पिता रामा, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. पारी बेवा रामा, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. घीसी बेवा गोकुल, जाति अहीर, निवासी सकरावास हाल भेरा अहीर, निवासी रामा खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. सुखीबाई पुत्री गोकुल, जाति अहीर, निवासी सुरावास, तहसील सराड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. कमला पुत्री भूरा पत्नी नानु, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

8/1. उदयलाल पिता नानु, जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

8/2. प्रेमी पिता नानु, जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

9. भगवानलाल पिता नानु, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

10. उदयराम पिता नानु, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. शंकरी पिता नानु, जाति अहीर, निवासो सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. रता पिता लक्ष्मण, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. दल्ला पिता लक्ष्मण, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14. किशना पिता हरिराम, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

14/1. सीताराम पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/2. माधवलाल पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/3. कैलाश पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/4. भरत पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/5. शम्भू पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/6. राधेश्याम पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/7. प्रकाश पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/8. कैलाशी पिता किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

14/9. नारायणी बेवा किशना जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

15. शंकर पिता हरिराम, जाति अहीर, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

16. तुलसी पुत्री नंदा बेवा किशोर, जाति अहीर, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

17. वरदी बेवा ..... जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (मृतक) के बजाय :–

17/1. मांगीलाल पुत्र वरदी, जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (मृतक) के बजाय :–

17/1/1. श्रीमती चांदीबाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल, जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

17/1/2. नारायण पिता स्वर्गीय मांगीलाल, जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

17/1/3. भैरूलाल पिता स्वर्गीय मांगीलाल, जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

17/1/4. मु0 रतनी बेवा स्वर्गीय मांगीलाल, जाति अहीर, निवासी उपरड़ा, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

19. राजस्थान जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 13.08.2012 प्र.सं. 159/10

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री सी.एस. शक्तावत अभिभाषक र॰ सं॰ 1, 2
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18

———:::———

निर्णय दिनांक

24—07—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सकरावास में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की कुल किता 4 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा, कलम संख्या 2 की कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं कलम संख्या 3 की कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त स्वामित्व की है। उक्त भूमि में पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार विभाजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 8 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13—08—2012 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 13—08—2012 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28—08—2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री सी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है तथा जो डिक्री पारित की है वह मृत व्यक्तियों के विरूद्ध होने से कानूनन वैध नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नाबालिग व्यक्तियों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि दौराने वाद कार्यवाही दिनांक 28–11–2011 को वादी संख्या 3 वरजी बेवा किशोर जी अहीर की मत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 7 कमली की भी मृत्यु दौराने वाद कार्यवाही हो चुकी थी, जिसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये बिना ही अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा दिनांक 13–08–2012 को प्रकरण में डिक्री जारी कर दो गयी है, जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–08–2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर एवं

उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 07.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।